स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 318, दिनांकः 29–10–2024</u>

जनपद सुलतानपुर में ज्वैलर्स शाप में हुई दिनदहाड़े डकैती की घटना में वांछित रूपये 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अंकित यादव उर्फ़ शेखर गिरफ्तार।

दिनांक 28–10–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को लूट, डकैती जैसी कई संगीन घटनाओं में शामिल एवं जनपद सुलतानपुर में भरत ज्वैलर्स मे हुई दिनदहाड़े डकैती की घटना करने वाले गिरोह का सदस्य व रूपये 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अंकित यादव उर्फ़ शेखर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

<u>अभियुक्त का विवरण–</u>

अंकित यादव उर्फ़ शेखर, पुत्र बाबू लाल यादव, नि० ग्राम हरी का पुरा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी–</u>

1– 755 ग्रा0 चाँदी के जेवरात
2– रुपये 2,800 नकद

<u>घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान–</u>

स्थान–छिवली रेलवे स्टेशन जनपद प्रयागराज के बाहर से। दिनांक 28–10–2024, समय–20.15 बजे प्रातः।

दिनांक 28–08–2024 को जनपद सुलतानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में भारत ज्वैलर्स की दुकान मे हुई दुस्सहासिक डकैती हुई। इस डकैती के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था। इस दुःसाहसिक डकैती के अनावरण हेतु एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि उपरोक्त घटना में संलिप्त कुख्यात अपराधी अंकित यादव उर्फ़ शेखर उपरोक्त अपने एक साथी से मिलने छिवली रेलवे स्टेशन के बहार आने वाला है। इस सूचना पर श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ के नेतृत्व में निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उप निरीक्षक प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी नीरज पाण्डेय, मुख्य आरक्षी सुशील सिंह, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी आरक्षी, अमर श्रीवास्तव, कमाण्डो राजेंद्र कुशवाहा, मु0आ0 चालक नागेश मिश्रा व मु0आ0 चालक सुरेश राम की टीम जो आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद प्रयागराज में मौजूद थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त अंकित यादव को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पश्चात अभियुक्त की निशादेही पर उपरोक्त बरामदगी हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 28–08–2024 को जनपद सुलतानपुर के ठठेरी बाजार में भारत जी ज्वैलर्स यहाँ लूट की घटना में मेरे साथ मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह,

फुरकान व अरबाज शामिल थे। इसके अलावा लूट की घटना को पहले से योजनाबद्ध तरीके से दुकान की रैकी करना, टीम बनाना और कौन सी टीम कब क्या करेगी, यह निर्धारित किया गया था। घटना कारित करने के बाद सारा पैसा व सामान हमलोगों ने आपस में बांट लिया था। उसके बाद मैं इलाहाबाद, लखनऊ व सुलतानपुर में छिप–छिपा कर रहने लगा तथा बाद में पुलिस से बचने के लिए छिपते–छिपाते दमन चला गया। दमन में मेरे पास जो रूपये थे वह खत्म हो गये थे। रूपयो के इन्तेजाम करने के लिए आ रहा था कि गिरफ्तार कर लिया गया

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर टीम प्रयागराज से सुलतानपुर रवाना हुई तथा रेलवे स्टेशन सुलतानपुर के पास से 755 ग्राम चाँदी बरामद की गयी।

<u>अंकित यादव</u> <u>का अपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	68/2023	401 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट	बदलापुर	जौनपुर
2	359/2023	323,427,504,506 भादवि व 3(1)(घ),3(1)(द),3 (2)(व) एससीएसटी एक्ट	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ़
3	50/2022	147/148/149/307 भादवि	करौंदीकलां	सुलतानपुर
4	578/2024	310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0	नगर कोतवाली	सुलतानपुर

गिरफ्तार अभियक्त के विरुद्ध जनपद सुलतानपुर के नगर कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

साहस उत्तर प्रदेश पुलिस उत्कृष्टता प्रतिबद्धता